तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1.6.17	पत्रावली पेश/अधिवक्ता पैरवीकार उप० वादी/ जवाब सरकार म० का० हो/ कनिष्ठ वादी की छायाप्रति उपलब्ध [illegible] [illegible] [illegible] वास्ते [illegible] दिनांक 12.6.17 को पेश हो	
12.6.17	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प पीपाबेड़ी पर पेश हुई। वादी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित हैं। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं रिपोर्ट अ.ल.रि. दि० 16.12.2015 प्राप्त हैं। पक्षकारों को सुना गया। वादी का कथन है, कि पूर्व खातेदार द्वारा भूमि खसरा नं० 256 (कबा 1), पर R.F.C. से ऋण लिया था। पूर्व खातेदार/ऋणी द्वारा समय पर ऋण नहीं चुकाने के ख० नं० 256 की भूमि को नीलाम किया गया। उक्त नीलामी की कार्यवाही में वादी द्वारा भाग लिया व अंतिम बोली वादी के नाम पर ही रही। उक्त अंतिम बोली की बेचान की कन्डीशनल डीड वादी के पक्ष में रजिस्टर्ड हुई तथा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा उक्त डीड को रजि० की उपरान्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये थे परन्तु तत्समय उक्त भूमि को वादी के नाम पर दर्ज नहीं कर सिवाय चक दर्ज कर दिया गया	सुनवाई

उक्त भूमि के बाद बन्दोबस्त हाल ख० नं० 344 रकबा 0.10 हेक्टर है, तथा सिवायचक दर्ज होने से वादी के विरुद्ध धारा 91 L.R. Act की कार्यवाही भी आ रही है। इस प्रकार वादी उक्त भूमि का अधिकारी नहीं बल्कि हैला है।

पैरोकार सरकार द्वारा जवाब के कथनों को दोहराया तथा विधि अनुसार प्रकरण का निस्तारण किये जाने के कथन किये।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त गहन अवलोकन एवं मनन किया। [illegible] वादी के वादपत्र के कथन, वांच्छित अनुतोष, पेश किये गये दस्तावेजात, पैरोकार सरकार का जवाब व रिपोर्ट G.L.R का भली भाँति अवलोकन किया।

प्रकरण में ग्राम कुरकथा की भूमि साबिक आराजी नं० 256 रकबा 111_2 को दिनांक 30.10.85 को नामा० नं० 132 से खातेदारी से सिवाय चक दर्ज किया तथा उक्त भूमि पर ऋण लेकर समय पर नहीं चुका पाने के फलस्वरूप उक्त भूमि को R.F.C. के ऋण की वसूली हेतु नीलाम किया तथा वादी द्वारा नीलामी लगाई तथा उक्त नीलामी की डीड को रजिस्टर्ड भी करवाया गया किन्तु तत्समय उक्त भूमि को वादी के नाम पर दर्ज नहीं किया गया।

क्रमशः

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बाद बन्दोबस्त उक्त भूमि स्पष्ट मि (नया) 1/5 ई हाल न. 354 रकबा 0.10 है. बनाई गई तथा हल्का रिपोर्ट उक्त भूमि पर वादी का कब्जा पाया गया है। बाद 31.12.1988 की कार्यवाही वादी के विरुद्ध होना भी इस बात की पुष्टि करता है, कि वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा है।

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात से यह प्रमाणित होता है, कि वादग्रस्त भूमि पर वादी की हैसियत अभिलिखित खातेदार की है, किन्तु सहवन से वादग्रस्त भूमि को सिवायचक दर्ज कर रखा है।

वादी द्वारा उक्त भूमि को विधिवत रूप से नीलामी में खरीदा है, तथा नीलामी की डीड का पंजीयन करवाया है। तथा उक्त भूमि को सिवाय चक खाते में डाल देने से वादी के विरुद्ध अतिचारी की बेदखल करने जैसी कार्यवाही किया जाना उचित नहीं मानी जा सकती। वादी की हैसियत अतिचारी की नहीं है।

अतः वाद वादी अंशतः स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है कि ग्राम कुरख्या की भूमि आराजी नं

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म ... में ...
	344 रकबा 0.10 हेक्टर को प्रति० के खाते से हटाई जाकर वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। तदनुसार डिक्री मुरत्तिब हो।	
	निर्णय आज दि० 12/6/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर लोक अदालत कैम्प पीपाखेड़ी पर सुनाया गया।	
	चिन्मयी गोपाल I.A.S.	

Scanned by CamScanner